तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी.ए./5094/2004/बॉरा जमनालाल बनाम द्वारकालाल	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>खण्डपीठ</u>
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
श्रीमती कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित –

श्री माधवराज सिंह, विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री उमेश कुमार, विद्धान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
श्री सुनील पारीक, राजकीय अधिवक्ता

–निर्णय–

दिनांक 03–04–2025

अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या–130/2003 बउनवानी जमनालाल बनाम द्वारकालाल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद उपजिला कलक्टर, अटरू के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् पेश कर कथन किया कि ग्राम मायथा तहसील अटरू स्थित विवादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 10/402 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा व साबिक खसरा नंबर 11 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नंबरान 37/704 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 37/705 रकबा 0.57 है0, खसरा नंबर 37/637 रकबा 0.50 है0 एवं खसरा नंबर 37 रकबा 0.64 है0 पर वादी लगातार कब्जाकाश्त है। उक्त भूमि में से 6 बीघा 08 बिस्वा भूमि वादी जमनालाल को जरिए आवंटन आदेश दिनांक 16–12–1983 को आवंटित हुई व कब्जा मौके पर दिया गया किन्तु शेष भूमि प्रतिवादी संख्या–2 नैनगा को आवंटित कर दी गयी जो त्रुटिपूर्ण है। अतः वादी को कब्जे काश्त के आधार पर शेष भूमि का खातेदार घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण 1 ता 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। उक्त आशय का वादपत्र पेश किए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 की ओर से वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने वादपत्र व जवाबदावे के आधार पर 06 तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी.ए./5094/2004/बॉरा जमनालाल बनाम द्वारकालाल	नम्बर व तारीख

व डिक्री दिनांक 06–06–2003 से वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी ने भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2004 के माध्यम से खारिज किए जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए कथन दिया कि वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 10/402 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा व साबिक खसरा नंबर 11 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 6 बीघा 08 बिस्वा भूमि अपीलार्थी को आवंटित की गयी थी तथा शेष भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त होने के आधार पर आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की मांग करते हुए वादपत्र पेश किया गया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त की स्थिति के विपरीत जाकर खारिज कर दिया गया उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किए जाने पर आराजी जैर के आवंटी प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश किए जाने के बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के अधिकार उत्पन्न होनें एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी आवंटित भूमि का त्याग जरिए राजीनामा करने के तथ्यों के विपरीत जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गयी है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी को आवंटित/कब्जेकाश्त की भूमि रही है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों का मुश्तहक रहा है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की उक्त द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने यह तर्क किया कि मुताबिक राजीनामा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील का निस्तारण विधिक प्रावधानों के अनुसरण में किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम मायथा तहसील अटरू स्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 10/402 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा व साबिक खसरा नंबर 11 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नंबरान 37/704

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी.ए./5094/2004/बॉरा जमनालाल बनाम द्वारकालाल	नम्बर व तारीख
	रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 37/705 रकबा 0.57 है0, खसरा नंबर 37/637 रकबा 0.50 है0 एवं खसरा नंबर 37 रकबा 0.64 है0 पर वादी लगातार कब्जाकाश्त है। उक्त भूमि में से 6 बीघा 08 बिस्वा भूमि वादी जमनालाल को जरिए आवंटन आदेश दिनांक 16–12–1983 को आवंटित हुई व कब्जा मौके पर दिया गया और शेष भूमि प्रतिवादी संख्या– 2 नैनगा को आवंटित कर दी गयी, परन्तु उक्त भूमि पर प्रारम्भ से ही अपीलार्थी का कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग किए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के जवाबदावें एवं वादपत्र के अनुसरण में नियमानुसार छः तनकीयात कायम की गई। जिसमें तनकी संख्या – 1 कायम की गई कि – आया वादी वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों का मुश्तहक रहा है? उक्त तनकीयात् को साबित करने का भार अपीलार्थी/वादी पर था। उक्त तनकीयात् अपीलार्थी को राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी अथवा खसरा गिरदावरियाँ प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर पर निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जे काश्त के आधार पर साबित करना था, परन्तु अपीलार्थी/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी राजस्व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी/वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि की सुरक्षार्थ खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए वादपत्र को स्वीकार किया जाता। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आधार पर उक्त तनकीयात् को अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध तय करने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र पर कायम की गई अन्य तनकीयात् का भी विधि के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलार्थी द्वारा वादपत्र के माध्यम से चाहे गये अनुतोष के संबंध में यह पाये जाने पर की वादाधीन भूमि के खातेदारी अधिकारों का मुश्तहक अपीलार्थी/वादी नहीं है, वादपत्र को विधिसम्मत् तरीके से खारिज किया गया है। प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए एवं रेस्पोडेन्ट्स जिनके द्वारा बतौर राजीनामा अपील को निर्णित करने का कथन किया गया है, के वादग्रस्त भूमि पर अधिकार बतौर आवंटी/गैर खातेदारी होने एवं उक्त आधार पर आराजी जैर के हस्तान्तरण के अधिकार रेस्पोडेन्ट्स को हासिल नहीं होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रथम अपील को खारिज किया गया है। अपीलार्थी/वादी द्वारा हस्तगत् द्वितीय अपील के माध्यम से भी न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी/वादी को द्वितीय अपील के माध्यम से आराजी जैर के बाबत् किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान की जा सके। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी/वादी वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने की दिनांक से निरन्तर कब्जे काश्त को साबित करने में असफल रहे है एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आराजी जैर के बाबत् प्रस्तुत राजीनामा अर्थहीन होने के आधार पर अपीलार्थी आराजी जैर पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलार्थी/वादी की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी.ए./5094/2004/बॉरा जमनालाल बनाम द्वारकालाल	नम्बर व तारीख
	परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या-130/2003 बउनवानी जमनालाल बनाम द्वारकालाल में पारित निर्णय दिनांक 25-08-2004 एवं विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या-8/2004 बउनवानी जमनालाल बनाम द्वारकालाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 06-06-2003 की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(कमला अलारिया)** **सदस्य** **(राजेश कुमार दड़िया)** **सदस्य**	